भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1733
दिनांक 05 दिसंबर, 2024

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती

†1733. एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्ज:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा 15 मार्च, 2024 से प्रभावी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती के लिए क्या औचित्य दिया गया है और इस निर्णय के माध्यम से किन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना है;

(ख) क्या सरकार ने उपभोक्ता व्यय और वाहन प्रचालन लागत, विशेषकर भारत में लगभग 58 लाख भारी माल वाहनों, 6 करोड़ कारों और 27 करोड़ दुपहिया वाहनों पर इसके असर को देखते हुए इस कटौती के आर्थिक प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं और विगत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इन उपायों के माध्यम से क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(घ) क्या सरकार चालू मुद्रास्फीति के दबाव के मद्देनजर उपभोक्ताओं को अतिरिक्त राहत प्रदान करने के लिए पेट्रोल, डीजल अथवा एलपीजी की कीमतों में और कटौती करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ): पेट्रोल और डीजल के मूल्य बाजार निर्धारित है और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण पर उचित निर्णय लेती है।

केन्द्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में दो बार नवंबर, 2021 और मई, 2022 में क्रमश: कुल 13 रुपए/लीटर और 16 रुपए/लीटर की कमी की है, जो उपभोक्ताओं को पूर्णतः प्रदान की गई थी, सहित सरकार और पीएसयू ओएमसीज द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप घरेलू स्तर पर पेट्रोल तथा डीजल के मूल्य घटकर क्रमश: 94.77 रुपए प्रति लीटर और 87.67 रुपए प्रति लीटर हो गए (दिल्ली में मूल्य)। कतिपय राज्य सरकारों ने भी नागरिकों को राहत पहुँचाने के निमित्त राज्य वैट दरों को कम कर दिया था।

मार्च, 2024 में ओएमसीज ने, पेट्रोल और डीजल के खुदरा मूल्यों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी की थी। इस कमी से नागरिकों को उच्च प्रयोज्य आय, कम लागत और उपभोक्ता के बढ़े हुए खर्च के माध्यम से सहायता मिली है। इस संबंध में, मंत्रालय द्वारा अभी तक कोई प्रभाव आकलन अध्ययन नहीं किया गया है।

भारत सरकार ने आम नागरिको को उच्च अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों से सुरक्षित रखने के लिए कई अन्य कदम भी उठाए हैं, जिनमें कच्चे तेल की आयात बास्केट में विविधता लाना, घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व के प्रावधानों को लागू करना, पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण बढ़ाना आदि शामिल है।

हाल ही में पीएसयू ओएमसीज ने अंतर-राज्य भाड़े का युक्तिकरण किया है। इससे राज्यों के भीतर सुदूर भागों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के रुप में पेट्रोलियम ऑयल और ल्यूब्रिकेंट (पोओएल) डिपो से दूर, सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को लाभ मिला है। इस पहल ने राज्य में पेट्रोल या डीजल के अधिकतम और न्यूनतम खुदरा मूल्यों के बीच के अंतर को भी कम कर दिया है।

भारत घरेलू एलपीजी की खपत का लगभग 60% आयात करता है। देश में एलपीजी के मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसके मूल्य से जुड़े हुए हैं। सरकार उपभोक्ता हेतु घरेलू एलपीजी के प्रभावी मूल्य को लगातार घटाती-बढ़ाती रहती है। औसत सऊदी सीपी (एलपीजी मूल्य निर्धारण के लिए अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क) में 64 प्रतिशत (जुलाई 2023 में यूएस अमेरीकी डॉलर 385 प्रति एमटी से नवंबर 2024 में यूएस अमेरीकी डॉलर 632 प्रति एमटी तक) तक वृद्धि हुई है जबकि दूसरी ओर प्रधान मंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) उपभोक्ताओं के लिए भारत में घरेलू एलपीजी के प्रभावी मूल्य में 44 प्रतिशत (अगस्त 2023 में 903 रूपए से नवम्बर, 2024 में 503 रुपए तक) तक कमी हुई है।

वर्तमान में दिल्ली में एक घरेलू एलपीजी का आरएसपी 803 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर है। भारत सरकार पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को 300 रुपए/सिलेंडर की निर्धारित राजसहायता के बाद 14.2 कि.ग्रा. एलपीजी सिलेंडरों को 503 रुपए प्रति सिलेंडर (दिल्ली में) के प्रभावी मूल्य पर प्रदान कर रही है। यह पूरे देश में 10.33 करोड़ से अधिक उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है। कतिपय राज्य सरकारे एलपीजी रीफिल पर कुछ अतिरिक्त राजसहायता प्रदान कर रही है और अपने संबंधित बजट से अतिरिक्त लागत वहन कर रही है।

****